# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
# सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक–2104 / रेनुकूट / 15–117 रेनुकूट,दिनांक,दिसम्बर, 19 ,2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड तृतीय,
पिपरी–सोनभद्र ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भः– 1–क्षेत्रीय सशक्त समिति(आर.ई.सी.)की बैठक दिनांक–26.11.2019 की कार्यवाई (आर.ई.सी. एजेण्डा आईटम 42.5.यू.पी.)
2–भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य ) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./425 दिनांक– 28.11.2019
3–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या–1085/11–सी–एफ0पी0/यू.पी./Irrig /20269/2016 लखनऊ दिनांक– 29.11.2019
4–विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखऊ का पत्र संख्या– भा0स0–166/81–2–2019–800(118)/2017 लखनऊ दिनांक– 17.12.2019
5–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या–1220/11–सी–एफ0पी0/यू.पी./Irrig /20269/2016 दिनांक–19.12.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर0ई0सी0) की दिनांक–26.11.2019 को बैठक आयोजित की गयी थी । बैठक में लिये गये निर्णय की सूचना भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक–28.11.2019 द्वारा दी गयी है जो निम्नानुसार है :–

1. The test check of KML files of degraded forest areas proposed for Compensatory afforestation reveals some discrepancies which must be sorted out after detailed analysis to ensure that total areas suitable for plantation does not fall below the total requirement of 1295 hectare.
2. The submission of CAT Plan is a part of diversion of forest land for Kanhar Irrigation Project sanctioned much earlier and it requires approval of the ministry which should be taken up separately by the State Government .

उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक– 17.12.2019 में निम्न प्रकार अंकित है :–

Scanned by CamScanner

"प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानो के अनुसार वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण (Compensatory Afforestation) हेतु चिन्हित/चयनित समतुल्य गैर वन भूमि के प्रकरणो के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या– वी0आइ0ईपी0– 23/14–2–2019–190 जी/2018 दिनांक– 28 जून, 2019 में विहित प्राविधानो के अनुसार कार्यवाही करते हुए आख्या उपलबध कराने का कष्ट करें" ।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है जिसे पूर्ण कराते हुए वांछित सूचना/अभिलेखो की पॉच–पॉच प्रतियॉ इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित की जा सकें :–

1– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुद्धी रेंज के अन्तर्गत चयनित अवनत वन क्षेत्र के संबंध में जी0ओ0रेफरेन्स मानचित्र, एवं टोपोशीट के0एम0एल0 फाईल आदि की पॉच –पॉच प्रतियॉ ।

2– प्रकरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु बभनी एवं विण्ढमगंज रेंज में उपलब्ध करायी जाने वाली गैर वन भूमि के संबंध में ग्रामवार/गाटावार क्षेत्रफल सहित विवरण एवं उत्तर प्रदेश शासन के उक्त आदेश दिनांक– 28 जून 2019 द्वारा मॉगे गये वांछित प्रमाण–पत्र अभिलेखो सहित पॉच–पॉच प्रतियों में उपलब्ध करायी जाय ताकि उसे उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित की जा सकें ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

19.12.019

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट

2104

संख्या– अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय वन अधिकारी, दुद्धी, बभनी एवं विण्ढमगंज रेंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । प्रकरण में प्रस्तावक विभाग को अभिलेख तैयार करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें ।

19.12.019

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट

Receved
J.E

Scanned by CamScanner

संख्या–भा0स0–166/81–2–2019–800 (118)/2017

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0,लखनऊ।

लखनऊ, दिनांक 17-12-2019

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2

विषयः– सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4847 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् 127.1637 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं0–8बी/यू0पी0/02/31/2018/एफ0सी0/425, दिनांक 28.11.2019 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र दिनांक 28.11.2019 में की गयी अपेक्षानुसार बिन्दुवार आख्या तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अनुसार वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण (Compensatory Afforestation) हेतु चिन्हित/चयनित समतुल्य गैर वनभूमि के प्रकरणों के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0–वी0आई0पी0–23/14–2–2019–190जी/2018, दिनांक 28 जून, 2019 में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

NSO
ccf/nodal
17/12/19

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ओबरा सोनभद्र, उ0प्र0।
2– अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड–3, पिपरी, सोनभद्र।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक–1220/11–सी–FP/UP/IRRIG/20269/2016, लखनऊ, दिनांकःदिसम्बर 19, 2018

प्रतिलिपि– 1. मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के पत्रांक–8बी/यू0पी0/02/31/2018/एफ0सी0/425, दिनांक 28.11.2019 के द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना तथा शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में शासनादेश सं0–वी0आई0पी0–23/14–2–2019–190जी/2018, दिनांक 28.06.2019 में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही कराते हुए आख्या/प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– 2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट एवं ओबरा को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के पत्रांक–8बी/यू0पी0/02/31/2018/एफ0सी0/425, दिनांक 28.11.2019 के द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना तथा शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में शासनादेश सं0–वी0आई0पी0–23/14–2–2019–190जी/2018, दिनांक 28.06.2019 में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए आख्या/प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– 3 अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड, तृतीय, पिपरी सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

19/12/19
(रमेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Lt. ST Page No.1277

Scanned by CamScanner